(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

PBR/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/3135

प्रकरण क्रमांक–.....PBR/2016 निगरानी

निगरानीकर्ता–

1. स्वर्गीय दिमान सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति यादव निवासी
   वूडाडोंगर तहसील आरोन जिला गुना मष्य प्रदेश्ज्ञ
   फोत द्वारा विधिक वारिस
   कमलाबाई पत्नि स्व. दिमान सिंह
2. भैयालाल पुत्र महाराजसिंह जाति यादव निवासी
   सगावरखेडा तहसील आरोन जिला गुना मष्य प्रदेश्ज्ञ
3. गडडीबाई पत्नि रमेशसिंह यादव निवासी
   वूडाडोंगर तहसील आरोन जिला गुना मष्य प्रदेश्ज्ञ

विरूद्ध

प्रतिनिगरानीकर्ता–

1 सोमा पुत्र अलमा जाति चमार
2 मुल्लीवई पत्नि सोमा जाति चमार
3 रामचरण पुत्र सोमा जाति चमार
4 रामवाव पुत्र सोमा जाति चमार समस्त निवासी
   वूडाडोंगर तहसील आरोन जिला गुना मष्य प्रदेश्ज्ञ
5 कलावाई पुत्री सोमा जाति चमार, पत्नि भुजवल निवासी
   ग्राम वरखेडागिर्द तहसील व जिला गुना मष्य प्रदेश्ज्ञ
6 गंगोटीवाई पुत्री सोमा जाति चमार, पत्नि कल्लू निवासी
   ग्राम क्यापुर तहसील आरोन जिला गुना मष्य प्रदेश्ज्ञ

7 चंदावाई पुत्री सोमा जाति चमार, पत्नि पप्पू निवासी
ग्राम मडुरा तहसील आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश्ज्ञ
8 गुडडीवाई पुत्री सोमा जाति चमार, पत्नि रामकष्ण
निवासी ग्राम इमझरा तहसील व जिला गुना मध्य प्रदेश्ज्ञ
9 मरलाल पुत्र सोमा जाति चमार निवासी वूडाडोंगर
10 श्रीमान उपपंजीयक महोदय तहसील आरोन

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक–01/वी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 9.08.2017 न्यायालय कलेक्टर महोदय, जिला–गुना (म0प्र0)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / गुना / भू.रा. / 2017 / 3135 [हस्तलिखित]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—12—2017	आवेदकगण एवं अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 9—8—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 (ख) का नहीं होकर, संहिता की धारा 165 (7—ख) का है और संहिता की धारा 165 (7—ख) के अन्तर्गत भूमि विकय करने के पूर्व कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है, जो नहीं ली गई है । धारा का गलत उल्लेख मात्र तकनीकी स्वरूप की त्रुटि है । कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष पूर्णतः उचित है । उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	